बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संचिका संख्या–5/वि0आ02–110/2015– 941 पटना, दिनांक– 15.11.16

श्री उमानाथ साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के विरूद्व निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति अरवल अन्तर्गत रामपुर चाय पंचायत में शौचालय निर्माण में अनियमित ढंग से भुगतान करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री साह के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में श्री साह का प्रतिकूल आचरण है। फलतः उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री साह के विरूद्व अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री उमानाथ साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सतीशचन्द्र मिश्रा, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

3. आरोपित श्री साह संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनो से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. **आदेशः**– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री उमानाथ साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम/ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीशचन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.11.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक–5/वि0आ02–110/2015– 941 पटना, दिनांक– 15.11.16

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री उमानाथ साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीशचन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक–5/वि0आ02–110/2015– 941 पटना, दिनांक– 15.11.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आरोप प्रपत्र 'क'

आरोपित पदाधिकारी का नाम	–	श्री उमानाथ साह,
पदनाम	–	तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम।
वेतनमान	–	15,600–39,100/–(ग्रेड पे–6600/–)
प्रथम नियुक्ति की तिथि	–	07.09.1989
जन्म तिथि	–	02.02.1964
सेवानिवृत्ति की तिथि	–	29.02.2024
आरोप का वर्ष	–	वर्ष 2011–12 एवं 2012–13

आरोप

निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल द्वारा रामपुर चाय पंचायत में 26 अद्द शौचालयों के निर्माण हेतु भुगतान किया गया है, जबकि जांच के क्रम में यह पाया गया कि उनमें मात्र 3 शौचालय ही निर्मित है तथा 23 अदद का भुगतान बगैर शौचालय निर्माण के किया गया है। इस प्रकार संबंधित संस्था को 54,590/–रूपये का भुगतान अनियमित ढंग से किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है एवं इस वित्तीय अनियमितता के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

साक्ष्य

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जांच दल के पत्रांक–786 दिनांक–23.06.2016 (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति संलग्न।
2. बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 की छायाप्रति संलग्न।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव